

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 51./2019 (RCMS : 2019/00089) सरवन
पुत्र श्री पेमा जाति नायक निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ
जिलाश्रीगंगानगर बनाम 1. बजरंग पुत्र श्री बालदास स्वामी निवासी
बछरारा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. तहसीलदार राजस्व,
सूरतगढ

03.04.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं० 289/2015 अनवानी सरवन बनाम बजरंग वगैरहा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 289 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर